हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 25 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–41/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 20) जो आज दिनांक 25 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2011 का विधेयक संख्यांक 20

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. **धारा 34 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 34 में,–

(क) उपधारा (1) में, ''प्रत्येक सम्पदा के पटवारी से'' शब्दों के स्थान पर ''प्रत्येक सम्पदा के सम्बद्ध राजस्व अधिकारी से'' शब्द रखे जाएगें।

(ख) उपधारा (3) में, ''प्रत्येक सम्पदा के पटवारी'' शब्दों के पश्चात् ''और राजस्व अधिकारी'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएगें।

3. **धारा 35 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(क) उपधारा (1) में, ''पटवारी'' शब्द के पश्चात् ''या सम्बद्ध राजस्व अधिकारी'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएगें;

(ख) उपधारा (2) में, ''पटवारी'' शब्द के पश्चात् ''या सम्बद्ध राजस्व अधिकारी'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएगें;

(ग) उपधारा (3) में, ''पटवारी'' शब्द के स्थान पर ''यथास्थिति, पटवारी या राजस्व अधिकारी'' शब्द रखे जाएगें; और

(घ) उपधारा (5) में, ''पटवारी'' शब्द के पश्चात् ''या राजस्व अधिकारी'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएगें;

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 34, वित्तायुक्त द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पटवारी द्वारा अधिकार–अभिलेख के कालिक अद्यतन के लिए उपबन्ध करती है और इस के प्रयोजन के लिए, कलक्टर प्रत्येक सम्पदा के पटवारी द्वारा नामांतरणों का रजिस्टर और ऐसे अन्य रजिस्टर रखवाएगा जैसे वित्तायुक्त द्वारा नियमों के द्वारा विहित किए जाएं। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 35, व्यक्ति द्वारा नामांतरण रजिस्टर में नामांतरण प्रविष्ट करवाने और राजस्व अधिकारी द्वारा उसका सत्यापन करवाने के लिए किसी सम्पदा में भू–स्वामी आदि के रूप में किन्हीं अधिकारों को अर्जित करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए उपबन्ध करती है। अधिकार–अभिलेख के अद्यतन और नामांतरण के सत्यापन की प्रक्रिया को सरल करने हेतु यह प्रस्तावित किया गया है कि आवेदक को, विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के आधार पर, नामांतरण को या तो तहसील कार्यालय में या पटवार वृत्त, जैसा वह चाहे, पर प्रविष्ट करवाने और सत्यापित करवाने हेतु एक विकल्प देने का उपबन्ध किया जाए। यह प्रत्याशा की जाती है कि जहां एक तरफ यह नामांतरण मामलों के त्वरित निष्पादन को सुनिश्चित करेगा और दूसरी तरफ आम जनता को प्रविलंबन (राहत) भी उपलब्ध करवाएगा। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(ठाकुर गुलाब सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः................, 2011

————————

वित्तीय ज्ञापन

——शून्य——

——————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

——शून्य——

————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 20 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMNT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 34.—In section 34 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (hereinafter referred to as 'the principal Act'),-

(a) in sub-section (1), for the words "by the Patwari of each estate" the words "by the Revenue Officer concerned for each estate" shall be substituted; and

(b) in sub-section (3), after the words "each estate", the words "and the Revenue Officer" shall be inserted.

3. Amendment of section 35.—In section 35 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), after the words "of the estate", the words "or the Revenue Officer concerned" shall be inserted;

(b) in sub-section (2), after the words "to the patwari", the words "or the Revenue Officer concerned" shall be inserted;

(c) in sub-section (3), after the words "The patwari", the words and signs "or the Revenue Officer, as the case may be," shall be inserted; and

(d) in sub-section (5), after the words "to the patwari", the words "or the Revenue Officer" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 34 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 provides for periodical up-dation of record-of-rights by the Patwari in accordance with the rules made by the Financial Commissioner and for this purpose, the Collector shall cause to be kept by the Patwari of each estate a register of mutations and such other registers as the Financial Commissioner may prescribe by rules. Further, section 35 of the Act ibid provides for the procedure to be followed by the person acquiring any rights in an estate as a land owner etc. for getting the mutation entered in the mutation register and attestation thereof by the Revenue Officer. In order to simplify the procedure for up-dation of record-of-rights and attestation of mutation, it has been proposed to provide an option to the applicant to get the mutation entered and attested either at the Tehsil office or at the Patwar Circle as he may desire, on the basis of specified registered documents. It is expected that on the one hand this will ensure speedy disposal of mutation cases and on the other hand, it will also provide a reprieve to the general public. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the above objectives.

(THAKUR GULAB SINGH)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The ,2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—